

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1332/2024, लखनऊ, दिनांक :: 11 नवम्बर.2024

संशोधित आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली - 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन
माह दिसम्बर, 2024 हेतु आदेश सं0 1284/2024 दिनांक 04.11.2024 द्वारा गठित युगल
पीठ का आंशिक संशोधित कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	पीठ-बरेली	पीठ-बरेली	दि0 09.12.2024 से 12.12.2024	सदस्य पीठ बरेली सदस्य, पीठ 5 वाराणसी	न्यायिक विभागीय
2	पीठ अलीगढ़	पीठ अलीगढ़	दि0 11.12.2024 से 13.12.2024	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य, पीठ -4, कानपुर	न्यायिक विभागीय

क्रम सं0 01 पर अंकित कार्यक्रम सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-5 वाराणसी के पत्र सं0 221/2024 दि0 05.11.2024 के अनुक्रम में एवं क्रम सं0 2 पर अंकित पीठ गठन कार्यक्रम सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर के पत्र संख्या 195/2024 दिनांक 05.11.2024 के अनुक्रम में पूर्व गठित कार्यक्रम आदेश दिनांक 04.11.2024 की तिथियों में संशोधन किया जा रहा है। शेष स्थिति यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-11.11.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-बरेली, पीठ-अलीगढ़, पीठ-4, कानपुर व पीठ -5 वाराणसी।
- 2- मुत्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।